भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1332

03 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: नई पीढ़ी को कृषि कार्य के प्रति आकर्षित करना

1332. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा देश कृषि आधारित है और 10 एकड़ से कम भूमि जोतों के आने और इसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में गिरावट आई है, नई पीढ़ी को कृषि के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार की क्या रणनीति है;

(ख) क्या प्रधान मंत्री किसान बीमा योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के अनुसार सामूहिक बीमा के स्थान पर प्रत्येक किसान की व्यक्तिगत भूमि जोत के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि के लिए बीमा लाभ प्रदान करने की कोई योजना है;

(ग) उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के काश्तकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी बीमा योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार ने 'अट्रैक्टिंग ऐंड रीटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर' (आर्या) नामक परियोजना आरंभ की है जो 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) में ऑपरेशनल है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की एक मेगा नेटवर्क परियोजना राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (एन.ए.एच.ई.पी.) के तहत जिसे केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा समान रूप से सह-वित्त पोषित किया गया है, स्कूलों में 'शिक्षा में कृषि पाठ्यक्रम को मुख्यधारा में लाना' (एम.ए.सी.ई.) पहल के माध्यम से स्कूलों में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2022-2024 के दौरान, स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की दिशा में उपयुक्त नीति, रूपरेखा और शिक्षाशास्त्र विकसित करने के लिए आई.सी.ए.आर. अधिकारियों/संकाय और वरिष्ठ प्रबंधन तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.) एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के शिक्षकों के लिए कार्यशालाएं, विचार-मंथन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कृषि क्षेत्र में सभी अवसरों को उजागर करते हुए युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में फिल्में (3) विकसित की गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार ने युवा किसानों सहित देश में किसानों हेतु कृषि क्षेत्र के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकास कार्यक्रमों को अपनाया और कार्यान्वित किया है, जैसे:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता,
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.),
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण,
4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तय करना,
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा,
6. प्रति बूंद अधिक फसल,
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि (माइक्रो इरिगेशन फंड),
8. किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देना,
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.),
10. कृषि मशीनीकरण,
11. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना,
12. राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना,
13. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम का शुभारंभ,
14. एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.),
15. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरूआत,
16. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम,
17. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम विकसित करना,
18. कृषि और संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि,
19. केंद्रीय क्षेत्रक योजना नमो ड्रोन दीदी

(ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) में पूर्व-निर्धारित गारंटीकृत उपज और मौसम संबंधी कारकों के विरुद्ध प्रतिकूल जलवायु/मौसम स्थितियों के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

किसानों को प्रीमियम सब्सिडी पर वित्तीय दायित्व, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर साझा किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर, जहाँ खरीफ 2020 सीज़न से यह 90:10 है। यह एक मांग आधारित योजना है तथा आरंभ से ही राज्यों के लिए और खरीफ 2020 से सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है।

इसके अतिरिक्त, पी.एम.एफ.बी.वाई. संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बुवाई से पहले से फसलोपरांत तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करता है। यह योजना न केवल बाढ़, जलप्लावन, भूस्खलन, सूखा, ड्राई स्पेल, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, आंधी, टेम्पेस्ट, हरीकेन, बवंडर आदि जैसे सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के कारण व्यापक उपज हानि हेतु सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना और प्राकृतिक आग) तथा चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा रोकी गई बुवाई के कारण फसलोपरांत होने वाले नुकसान के कारण फार्म स्तर पर उपज हानि के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, फसल के मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के मामले में बीमित किसानों को तत्काल राहत भी प्रदान की जाती है जिसके कारण मौसम के दौरान अपेक्षित उपज संबंधित बीमा इकाई में थ्रेसहोल्ड उपज के 50% से कम होने की आशंका हो।

यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि इस योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. में नए युग की तकनीकों को शामिल किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना की ओर आकर्षित किया जा सके। इस योजना में तकनीकी हस्तक्षेप इस प्रकार हैं:

क. **यस-टेक (यील्ड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन टेक्नॉलजी)-** यह फसल हानि आकलन और उपज आकलन के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन तंत्र है जो अनुमोदित प्रौद्योगिकियों/पद्धतियों का उपयोग करते हुए रिमोट सेंसिंग सूचकांक, मौसम सूचकांक, क्रॉप फेनोलॉजिकल इन्फर्मेशन, मिट्टी के प्रकार आदि से प्राप्त डेटा इनपुट द्वारा सहायता प्राप्त करता है।

ख. **विंड्स (वेदर इन्फर्मेशन नेटवर्क ऐंड डेटा सिस्टम)-** यह तालुका/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षामापी का एक नेटवर्क है, जो विभिन्न सरकारों और अन्य संस्थाओं के लिए अति-स्थानीय मौसम डेटा का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करता है जिसका उपयोग सभी किसान और खेती-बाड़ी संबंधी सेवाओं के लिए किया जा सकता है।

ग. **डिजी-क्लेम-पेमेंट मॉड्यूल-** पात्र दावों की मात्रा, बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए गए दावों और लाभार्थी किसानों को अंतरित वास्तविक दावों की विजिबिलिटी का एक पारदर्शी चैनल।

घ. **ए.आई.डी.ई. (ऐप फॉर इंटरमीडियरी एनरोलमेंट):** बीमा मध्यस्थों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से किसानों के घर-द्वार पर नामांकन के लिए एक स्मार्ट-फोन ऐप तैयार किया गया है। यह किसानों को पूरी तरह से कागज़-रहित और नकदी-रहित सेवा का अनुभव प्रदान करता है।

ङ. **कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन:** किसानों को अपनी शिकायतें/चिंताएं/प्रश्न दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल और कॉल सेंटर सहित ऑल इंडिया सिंगल नंबर वाला एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया गया है।

(ग): कृषि राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें काश्तकारों सहित सभी किसानों हेतु राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित उपाय करती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

सरकार, पूरे भारत में संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.) के रूप में प्रचलित 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है जिससे किरायेदार किसानों सहित सभी किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता मिल सके।

संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.) के अंतर्गत, विभिन्न बैंकों से योजना के तहत प्राप्त दावों के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को फंड जारी किया जाता है। आर.बी.आई. के दिनांक 04 जुलाई, 2018 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार के.सी.सी. योजना के तहत मौखिक पट्टेदार और बटाईदार, स्वयं सहायता समूह या किसानों के संयुक्त देयता समूह जिनमें किरायेदार किसान, बटाईदार शामिल हैं, अल्पकालिक ऋण के लिए पात्र हैं।

(घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग उन किसानों को एन.डी.आर.एफ. के तहत राहत प्रदान करने के लिए चिंतित है जिन्होंने सूखे, ओलावृष्टि, कीट हमले और शीत लहर/ठंड के कारण अपनी फसलें खो दी हैं। प्रभावित किसानों को फंड वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

*****